

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 - 291/2025

दिलबाग सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 35, संगरिया तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| 1. हरप्रीत सिंह पुत्र बलजीतसिंह  | } | जाति जटसिख निवासीयान वार्ड नं. 35,<br>संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। |
| 2. गुरजीत कौर पत्नी बलजीतसिंह    |   |   |
| 3. हरबंश कौर पत्नी दिलबागसिंह    |   |   |
| 4. रमनदीप कौर पत्नी हरप्रीतसिंह  |   |   |
| 5. सर्वजीत सिंह पुत्र हरबंशसिंह  | } | जाति जटसिख निवासीयान बशीर तहसील<br>टिब्बी जिला हनुमानगढ़।                   |
| 6. चरणजीत सिंह पुत्र हरबंशसिंह   |   |   |
| 7. जसप्रीत सिंह पुत्र चरणजीतसिंह |   |   |
| 8. मनप्रीत कौर पुत्री बलजीत सिंह |   |   |

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक:- 14/11/25

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सत्यनारायण सुथार आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री परमजीत सिंह वकील वादी मिन जामिन  
मुदई श्री अरविन्द नैण वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश  
होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी दिलबाग सिंह को चक  
2 एनजीआर जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं. 44 में 0.885 है. भूमि,  
प्रतिवादी सं. 1 हरप्रीत सिंह को चक नं. 2 एनजीआर जमाबन्दी संवत 2075 ता 78  
के खाता सं. 44 में 0.885 है. भूमि, प्रतिवादी सं. 2 गुरजीत कौर को चक नं. 2  
एनजीआर जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं. 44 में 0.506 है. भूमि, प्रतिवादी  
सं. 3 हरबंश कौर को चक नं. 2 एनजीआर जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता  
सं. 44 में 0.506 है. भूमि, प्रतिवादी सं. 4 रमनदीप कौर को चक नं. 2 एनजीआर  
जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं. 44 में 0.506 है. भूमि, प्रतिवादी सं. 5  
सर्वजीत सिंह को चक नं. 7 एम.के.एस जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 खाता सं. 47  
में 0.759 है. भूमि व चक नं. 7 एम.के.एस के खाता सं. 116 में 1.077 है. भूमि,  
प्रतिवादी सं. 6 चरणजीत सिंह को चक नं. 7 एम.के.एस के खाता सं. 116 में 1.  
246 है. भूमि, प्रतिवादी सं. 7 जसप्रीत सिंह को चक नं. 7 एम.के.एस के खाता सं.  
116 में 0.506 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर चक नं. 7 एम.के.एस के  
खाता सं. 116 में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 व 8 तथा इसी चक के खाता सं.  
47 से वादी, प्रतिवादी सं. 1, 2, 8 तथा चक नं. 2 एनजीआर के खाता सं. 44 से  
प्रतिवादी सं. 5 व 6 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कि  
यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0  
रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो



उपखण्ड अधिकारी  
सत्यनारायण आर.ए.एस.  
टिब्बी

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/11/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



27  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।